(वाद सं0.-989/4/4/2022)

06-07-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सैयद मोनाजिर ईमाम, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, अंचल–बलिया, जिला–बेगूसराय को दिनांक–30 जून, 2012 को सेवानिवृत्ती के उपरान्त 1. संचित अर्जित अवकाश के बदले नगद राशि 2. उपादान की राशि 3. ग्रुप बीमा की राशि 4. भविष्यनिधि में संचित राशि का भुगतान, नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय,** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अंचल अधिकारी, बलिया, बेगूसराय** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के उसके सेवानिवृत्ति के उपरान्त समस्त सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है। अपने प्रतिवेदन के साथ जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा परिवादी के अनुमान्य सभी सेवान्त लाभ प्राप्त करने से संबंधित आवेदन की छाया प्रति भी अनुलग्नित की गई है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय,** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय,** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–28–07/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

उप सचिव